अमरीकी वीज़ा के लिए सोशल मीडिया की जानकारी भी देना होगी

अमेरिकी वीज़ा के लिए आवेदन करते समय अब आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी जानकारियां भी देनी होंगी. साथ में मोबाइल नंबर और ई-मेल आदि भी बताना होगा. ख़बरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस बार वीज़ा आवेदन करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है. ऐसा इसलिए ताकि ऐसे लोगों को अमेरिका आने से रोका जा सके जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए ख़तरा बन सकते हैं. वीज़ा आवेदन नियमों में बदलाव गुरुवार को ही किया गया है. इसकी सूचना आधिकारिक तौर पर शुक्रवार 30 मार्च को सार्वजनिक की जाने वाली है.

नए नियमों के तहत वीज़ा आवेदकों से कुछ तय प्रश्नों के उत्तर देने की अपेक्षा की गई है. जैसे- आवेदकों ने बीते पांच साल में कौन-कौन से मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए ? उसके ईमेल कितने रहे ? उसने किन देशों की यात्राएं कीं ? आवेदक को किसी देश से बाहर तो नहीं निकाला गया ? उसके परिवार का कोई सदस्य आतंकी गतिविधि में शामिल तो नहीं रहा ? आदि. अमेरिकी विदेश विभाग का अनुमान है कि वीज़ा आवेदन के नियमों में बदलाव का असर लगभग 1.47 करोड़ आवेदकों पर पड़ सकता है.